रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 288] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 1972/ज्येष्ठ 19, 1894
No. 288] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 1972/JYAISTHA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

धन-कर

नई दिल्ली, 9 जून, 1972

एस० ओ० 418(अ)—भारत के राजपत्र के असाधारण, तारीख 25 फरवरी, 1972 के पृष्ठ 378 पर प्रकाशित अधिसूचना में ऊपर से ऊपर लिखे शीर्ष में 'खेन्द्रीय' के स्थान पर 'केन्द्रीय" पढ़ा जाय।

उसी पृष्ठ पर नीचे से पांचवीं पंक्ति में "निर्धारित" के स्थान पर "निर्धारिती" पढ़ा जाय।

पृष्ठ 379 ऊपर से तीसरी पंक्ति में प्रथम शब्द "पसले" के स्थान पर "पहले" पढ़ा जाय।

उसी पृष्ठ पर नीचे से नवीं पंक्ति में "दास्तावेजों" के स्थान पर "दस्तावेजों" पढ़ा जाय।

[सं० 106/फा० सं० 143(1)/72-टी०पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,
सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972